

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

7. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

(Dr. Ajit Singh Rana)
Regional Director
Tel No:- 0141-2623501

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C. :-

1. The Principal, **Rajasthan Teacher Training School, Mandawa Road, Ganpati Nagar, Jhunjhunu, Rajasthan**
2. The Secretary, Education, **Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.**
3. The Registrar, **SCERT, Udaipur, Rajasthan.**
4. The Director, Directorate of Higher Education, I/c Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner, Rajasthan.
5. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
7. Office Order file/ Institution file

Regional Director

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(7)शिक्षा-1/प्रा.शि./2008

जयपुर, दिनांक : 18/9/08

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 54 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया व 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर में एक मुश्त 50,000/- रुपये शास्ति (Non-refundable) के रूप में बैंक ड्रॉपट के माध्यम से जम करवाये जाने की शर्त पर प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
(1)	महाराणा प्रताप एसटीसी स्कूल, बसेडी, धौलपुर	STC	50
(2)	चौधरी एम.एस. मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तारा नगर, चुरू	STC	50
(3)	इंडियन पब्लिक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, झुन्झुनू	STC	50
(4)	रावत महिला बीएड कॉलेज, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(5)	राजस्थान कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, खेडा, हिण्डोन सिटी, करौली	STC	50
(6)	पी.एल. दुबे मेमोरियल एसटीसी कॉलेज, जगपुरा, कोटा	STC	50
(7)	महिला विद्या मन्दिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेगवास, प्रतापगढ़	STC	50
(8)	मारुती नन्दन ऐलीमेन्ट्री (बीएसटीसी) टीटी कॉलेज, भरतपुर	STC	50
(9)	लोकमान्य तिलक एसटीसी कॉलेज, विन्दायका, झोटवाडा, जयपुर	STC	50
(10)	टैगोर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शेखपुर, कोटपुतली, जयपुर	STC	50
(11)	आर.एन.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ बीएसटीसी, कपासन, चित्तौडगढ़	STC	50
(12)	विद्या भारती एसटीसी कॉलेज, टोडी नगर, सीकर	STC	50
(13)	संस्कार टीचर ट्रेनिंग स्कूल, शान्ति प्रिया नगर, जोधपुर	STC	50
(14)	टांक शिक्षा निकेतन बीएसटीसी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लोहागल, अजमेर	STC	50
(15)	मदर इंडिया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, खानपुर, झालावाड	STC	50 (सीट वृद्धि)
(16)	गोपेश्वर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कंवरपुरा डुंगरजा, दीगोद, कोटा	STC	50
(17)	सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, भगवानभरा, तिजारा रोड, अलवर	STC	50
(18)	श्री कृष्ण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोटपुतली, जयपुर	STC	50
(19)	उजास कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सचिवालय सिटी, दधिया, सांगानेर, जयपुर	STC	50
(20)	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धाना राजाजी, राजगढ़, अलवर	STC	50
(21)	आर.एन.टी.टी. कॉलेज, स्याऊ-गोविन्दगढ़, चौमू, जयपुर	STC	50
(22)	विनायक कॉलेज, विनायक विहार, लक्ष्मणगढ़, सीकर	STC	50


(23)	राजस्थान टीचर ट्रेनिंग स्कूल, गणपति नगर, झुन्झुनू	STC	50
(24)	केरियर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, गणपति नगर, झुन्झुनू	STC	50
(25)	महाराजा अग्रसेन कॉलेज, नगर, भरतपुर	STC	60
(26)	जीवनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गांव-पोस्ट अडुका, चिडावा, झुन्झुनू	STC	50
(27)	शेखावाटी एसटीसी कॉलेज, सर्किट हाउस के पीछे, जयपुर रोड़, सीकर	STC	50
(28)	श्री नारायण टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
(29)	श्री राणा एसटीसी कॉलेज, बरवड, मकराना, नागौर	STC	50
(30)	अनुराधा महिला शि. प्र. महाविद्यालय, नाईवाला (सांगानेर), अजमेर रोड़, जयपुर	STC	50
(31)	बी.आर. खोखर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
(32)	स्वामी केशवानन्द टीटी गर्ल्स कॉलेज, लक्ष्मणगढ़, अलवर	STC	50
(33)	चिल्ड्रन टीटी कॉलेज, दादाबाडी, कोटा	STC	50 (सीट वृद्धि)
(34)	लॉड्स इन्टरनेशनल कॉलेज फोर टीचर ट्रेनिंग, चिकानी, अलवर	STC	50
(35)	अलंकार महिला टीचर ट्रेनिंग स्कूल, बिशनावाला, सिरसी रोड़, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(36)	बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(37)	महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सीतापुरा, जयपुर	STC	50
(38)	भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, किशनगढ़बास, अलवर	ETE (STC)	50
(39)	दीप इन्टरनेशनल टीटी स्कूल, हरसौली, कोटकासिम, अलवर	STC	50
(40)	रतनी देवी बालिका बीएसटीसी विद्यालय, द्वारिकापुरी, हिण्डौनसिटी, करौली	STC	50
(41)	शादी लाल कटारिया मेमोरियल वोमेन्स टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, पिलानी, झुन्झुनू	DEd (STC)	50
(42)	भगवान महावीर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, गांव-पोस्ट कचरोली, हिण्डौन, करौली	STC	50
(43)	श्री महालक्ष्मी महिला बेसिक स्कूल ट्रेनिंग कॉलेज, प्रतापनगर, जोधपुर	STC	50
(44)	बालाजी शिक्षण संस्थान, गांव-आसनपुरा, कुचामनसिटी, नागौर	STC	50
(45)	माता केसरी देवी टी.टी. कॉलेज, राजोता खेतड़ी, झुन्झुनू	STC	50
(46)	मंत्रम एस.टी.सी. कमली नाई गिर्वा उदयपुर	STC	50
(47)	राजस्थान गर्ल्स एस.टी.सी. स्कूल बिसाऊ, मलसीसर झुन्झुनू	STC	50
(48)	बाबा नारायण दास महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, नीम का थाना, सीकर	STC	50
(49)	भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चक-2 एम.एल. नथवाला, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर	STC	50 (सीट वृद्धि)
(50)	मदरलेण्ड टीचर ट्रेनिंग स्कूल पुरानी टॉक, टॉक	STC	50
(51)	आर.सी.मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मारवाड़ जक्शन, पाली	STC	50
(52)	विनायक कॉलेज ऑफ एज्युकेशन गाँव पोस्ट सुरेन्द्रा, कोटपुतली, जयपुर	STC	50
(53)	जे.बी. टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट शार्दुल शहर श्रीगंगानगर	STC	50
(54)	श्री शिवा एस.टी.सी. कॉलेज बारनी खुर्द, भोपालगढ़, जोधपुर	STC	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिये। समकक्ष परीक्षा के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2008-09 में बीएसटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा।

3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में नवीनतम प्रभावी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।
5. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् संस्था को छात्र आवंटित किये जावें:-
 - (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
 - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.
 - (iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या 5 (i) पर अंकित शर्त की पालना एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर में ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई गई राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।


 18.9.08
 शासन उप सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2008 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया काउंसिलिंग में सम्मिलित करने से पूर्व निर्धारित फीस, राशियाँ एवं शास्ति जमा करवाना सुनिश्चित करें।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8. संबंधित संस्था
9. रक्षित पत्रावली।


 18.9.08
 शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रार./शिप्र/प्रवेश/4489/08-09


दिनांक:- 19-9-08

समन्वयक,
बीएसटीसी/एनटीटी/एसटीसी संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर ।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने बाबत ।

संदर्भ:- उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प्र-15(7) शिक्षा-1/शिप्र/2008 दिनांक 18-9-08 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18-9-08 के द्वारा निर्देशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन निजी संस्था राजस्थान टीचर ट्रेनिंग स्कूल गणपति नगर मुंबई को एसटीसी/एनटीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं सम्बद्धता प्रदान की जाती है । संलग्न पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्णतया पालना प्रवेश प्रक्रिया में भी की जावे ।


सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर